संख्या-23/2018-878/58-2018-95/2017

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 28 मार्च, 2018**

विषय :- **प्रदेश में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में राजस्व एवं पूंजी लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद गोरखपुर के विन्ध्यवासिनी पार्क में लोहिया पर्यावरणीय पार्क की स्थापना हेतु धनराशि रू0-150.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या-284/बजट/2017-18, दिनांक 09.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद गोरखपुर के विन्ध्यवासिनी पार्क में लोहिया पर्यावरणीय पार्क की स्थापना हेतु धनराशि रू0-150.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के लिए आय-व्ययक 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0-205.06 लाख में से अवशेष धनराशि रू0-150.00 लाख (रूपये-एक करोड़ पचास लाख) मात्र को** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**अवमुक्त की जारी रही धनराशि**
2406-वानिकी तथा वन्य जीव- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क				
02-मजदूरी	**42.52**	**20.29**	**22.23**	**22.23**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.20**	**0.0**	**0.20**	**0.20**
42-अन्य व्यय	**40.00**	**19.17**	**20.83**	**20.83**

http://shasanadesh.up.nic.in

43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	**32.14**	**15.60**	**16.54**	**16.54**
योग-	**114.86**	**55.06**	**59.80**	**59.80**
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क				
24-वृहत निर्माण कार्य	**90.00**	**0.00**	**90.00**	**90.00**
26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	**0.20**	**0.00**	**0.20**	**0.20**
योग	**90.20**	**0.00**	**90.20**	**90.20**
कुल योग	**205.06**	**55.06**	**150.00**	**150.00**

(धनराशि-रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)

उपरोक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) से कराया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण कार्यदायी संस्था के आगणन पर अनुमोदन के उपरान्त किया जाय तथा योजना के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार फेजिंग करते हुए किया जाय।

(3) निदेशालय/सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि एक ही मद के लिए दोहरी धनराशि स्वीकृत न हो जाय।

(4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन, वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने से पूर्व भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(10) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायित्व होंगे।

(11) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में प्राप्त प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-23/2018-878(1)/58-2018, तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) जिलाधिकारी गोरखपुर।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ।
(4) उप निदेशक उद्यान, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
(5) कोषाधिकारी, गोरखपुर।
(6) प्रबन्ध निदेशक कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)लखनऊ/अधिशाषी अभियन्ता कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) गोरखपुर।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in